



कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalfca.forest@uk.gov.in

Phone/Fax: 0135 2767611



एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य
ONE EARTH - ONE FAMILY - ONE FUTURE

पत्रांक- 2281 / 12-1 :देहरादून: दिनांक: 20 मार्च, 2025

सेवा में,

उप वन महानिरीक्षक, (के0)
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय :- जनपद-टिहरी गढ़वाल में कर्णगांव से राजराजेश्वरी मन्दिर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.2375 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। प्रस्ताव सं0-FP/UK/ROAD/14272/2015

संदर्भ:-भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/144/2016/1594 दिनांक 21-10-2020।

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या चाही गयी है। उक्त के क्रम में वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त के माध्यम से अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित की जा रही है:-

क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	अनुपालन आख्या
1.	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र संलग्न है। (संलग्न-01)
2.	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
3.	प्रतिपूरक वनीकरण :- क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 6.475 है0 गैर वानिकी भूमि ग्रामा केपार्स सिविल खसरा नं0 5,7,18,56,340,341,342,343,344,350,352,355,356,3260,3261, 3266,3271,3272,3318,3319,3320,3321,3324,3326,3330,3381, 3382,3803,3804,3808,3833 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें। ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तांतरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। एफ0सी0ए, 1980 की guideline के para 2.4(i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन	(क) प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 6.475 है0 भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि ₹ 21,83,266.00 (ईक्कीस लाख तिरासी हजार दो सौ छियासठ रुपये मात्र) कैम्पा कोष में जमा कर दिये गये है। (संलग्न-01) (ख) शर्त के अनुपालन में जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल द्वारा अपने आदेश सं0 292/XI-28(2020-2021) दिनांक 30.04. 2022 से ग्राम केपार्स तहसील-बालगंगा, पट्टी-बासर की सिविल सोयम भूमि 6.475 है0 खाता सं0-37 खसरा नं0 5,7, 18,56,340,341,342,343,344,350,352,355, 356,3260,3261,3266,3271,3272,3318,

क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	अनुपालन आख्या
	अधिनियम, 1927 के अंतर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्ण आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है। ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	3319,3320,3321,3324,3326,3330,3381, 3382,3803,3804,3808,3833 को वन विभाग के पक्ष में नामांतरित/इन्द्राजी कर दिया है। (संलग्न-3) उप सचिव, वन अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन का पत्र संख्या 196/X-3-23/1(225)/2016 दिनांक 21.03. 2023 द्वारा संरक्षित वन घोषित किये जाने की अधिसूचना निर्गत की गयी है। (संलग्न-4) (ग) शर्त के अनुपालन में प्रमाण-पत्र संलग्न है। (संलग्न-5)
4.	शुद्ध वर्तमान मूल्य :- (क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी. (Pt.2) दिनांक 18.09. 2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.99 है० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	(क) शर्त संख्या-4 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा एन०पी०वी० की धनराशि ₹ 27,35,688.00 (सत्ताईस लाख पैंतीस हजार छः सौ अट्ठासी रुपये मात्र) कैम्पा कोष में जमा कर दिया गया है। (चालान की प्रति संलग्न) (ख) एन०पी०वी० की दरों में अगर बढ़ोत्तरी होगी तो बढ़ी हुई दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र संलग्न है। (संलग्न-6)
5.	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 448 tree including 175 saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	शर्त संख्या-5 में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र संलग्न है। (संलग्न-7)
6.	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	शर्त संख्या-6 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०वी० एवं अन्य वॉछित धनराशि ऑनलाईन चालान सत्यापन के पश्चात ई-पोर्टल के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में जमा कर दी गयी है।
7.	State Govt. Will inform this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guideline para 11.2 The State Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expire of one year from the date of issue of such permission.	वृक्षों के छपान आदेश की प्रति संलग्न है। (संलग्न-8)

क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	अनुपालन आख्या
8.	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	शर्त संख्या-8 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
9.	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	शर्त संख्या-9 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (संलग्न-9)
10.	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जायेंगे।	शर्त संख्या-10 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
11.	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।	शर्त संख्या-11 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
12.	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	शर्त संख्या-12 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
13.	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	शर्त संख्या-13 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कोई श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किये जायेंगे। तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र संलग्न है। (संलग्न-10)
14.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	शर्त संख्या-14 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य स्रोत से प्राप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र संलग्न है। (संलग्न-11)
15.	संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा।	शर्त संख्या-15 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
16.	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	शर्त संख्या-16 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
17.	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	शर्त संख्या-17 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
18.	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य ऐजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जायेगी।	शर्त संख्या-18 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र संलग्न है। (संलग्न-12)
19.	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देशानुसार फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	शर्त संख्या-19 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र संलग्न है। (संलग्न-13)
20.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी।	शर्त संख्या-20 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
21.	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई	शर्त संख्या-21 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र संलग्न है। (संलग्न-14)

क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	अनुपालन आख्या
	जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	
22.	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय/आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	शर्त संख्या-22 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र संलग्न है। (संलग्न-15)
23.	अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या ई-पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जा रही है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी/प्रस्तावक विभाग के अनुरोध के दृष्टिगत प्रश्नगत प्रकरण में वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम-1980 यथासंशोधित-2023 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न- यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

संख्या- २२४१ / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड, शासन।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।
3. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, घनसाली (मुख्यालय-घुमेटीधार) टिहरी गढ़वाल।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

प्रमाण पत्र

कार्य का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-402/2013 के अन्तर्गत कर्णगाँव से राजराजेश्वरी मन्दिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 3.2375 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (ऑनलाईन पत्रावली संख्या-FP/UK/ROAD/4272/2015)

प्रमाणित किया जाता है, कि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान वनभूमि की विधिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।


अधिसासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
घनसाली (मुख्यालय-घुमेटीधार)

AGENCY COPY
NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA
Date : 23-01-2021

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT GHANSALI
Application No.	6114272684
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/144/2016
Location.	UTTARANCHAL
Address.	OFFICE OF EXECUTIVE ENGINEER TEMP. DIV. PWD GHANSALI UTTRAKHAND Tehri Garhwal
Amount(in Rs)	4918954/-

Amount in Words :Forty-Nine Lakh Eighteen Thousand Nine Hundred and Fifty-Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896114272684 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY
NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA
Date : 23-01-2021

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT GHANSALI
Application No.	6114272684
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/144/2016
Location.	UTTARANCHAL
Address:	OFFICE OF EXECUTIVE ENGINEER TEMP. DIV. PWD GHANSALI UTTRAKHAND Tehri Garhwal
Amount(in Rs)	4918954/-

Amount in Words :Forty-Nine Lakh Eighteen Thousand Nine Hundred and Fifty-Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896114272684 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

(Signature)
Executive Engineer
T. Div. P.W.D.
Ghansali

STATE BANK OF INDIA
04 FEB 2021
SASOLA

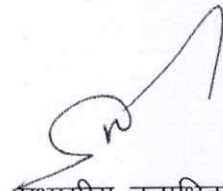
(Signature)
Executive Engineer
T. Div. P.W.D.
Ghansali

S BIN 32 10 350 94226

छाया प्रति प्रमाणित
(Signature)
सहायक अभियन्ता
ग्रो. १००१०१०१०
घनसाही तेहरी गढ़वा

प्रतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद-टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में कर्णगांव से राजराजेश्वरी मोटर मार्ग के नव निर्माण कार्य हेतु 3.2375 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों के लिए लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (ऑनलाईन पस्ताव सं०-FP/UK/ROAD/14272/2015) परियोजना में प्रस्तावित दुगनी 6.4750 है० ग्राम-केपार्स, पट्टी-बासर, खाता सं०-37 सिविल भूमि खसरा नं०-05, 07, 18, 06, 340, 341, 342, 343, 344, 350, 352, 355, 356, 3260, 3261, 3266, 3271, 3272, 3318, 3319, 3320, 3321, 3324, 3326, 3330, 3381, 3382, 3803, 3804, 3808, 3833 इस वन प्रभाग की बालगंगा राजि के अन्तर्गत पडती है, इस क्षेत्र में किसी भी अन्य योजना के तहत वनीकरण नहीं किया गया है।


प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी

प्रारूप-2.38

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में कर्णगांव से राजराजेश्वरी मन्दिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।
(लम्बाई-5.00 कि०मी०)

एन०पी०वी० की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

मं०
ह०/-
प्रयोक्ता एजेन्सी

छाया प्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
अ०जी० पी०वि०,
धनराशि टिहरी गढ़

प्रारूप-2.18

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड मिलंगना में कर्णगांव से राजराजेश्वरी मन्दिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (लम्बाई-5.00 कि०मी०)

न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम है व भारत सरकार से परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।

ह०/म०
प्रयोक्ता एजेन्सी

वन क्षेत्राधिकारी
मिलंगना रास्ते
अभियन्ता

परिचालक
प्रभाकर प्रसाद
टिहरी गढ़वाल
प्रमाणित अधिकारी

छाया प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
ग्र० ७७ ग० नि० वि०,
मनसाली टिहरी गढ़वाल

कार्यालय : प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

फोन/फैक्स : 01376-232077,

ईमेल :

dfotehri_ua@rediffmail.com

पत्रांक : 3143 / 12-1

नई टिहरी, दिनांक-

8/06/ 2022

सेवा में,

वन क्षेत्राधिकारी,
बालगंगा राजि।

विषय:-

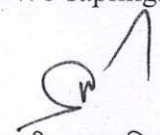
जनपद-टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड भिलंगना मे कर्णगांव से राजराजेश्वरी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.2375 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (ऑनलाईन प्रस्ताव सं0-FP/UK/ROAD/14272/2015)

सन्दर्भ:-

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र सं0-08बी/यू0सी0पी0/06/144/2016/1594, दिनांक:-21-10-2020।

उपरोक्त सन्दर्भित भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र दिनांक:-21-10-2020 से विषयगत परियोजना के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव को कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन पूर्ण कर लिया गया है।

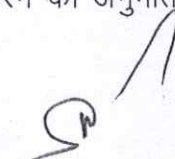
अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त के क्रम में प्रश्नगत परियोजना निर्माण के समरेखण से प्रभावित आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का प्रस्तावक विभाग के साथ छपान कर छपान सूची शीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिनकी संख्या 448 trees including 175 saplings से अधिक न हो।


प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी

संख्या : 3143 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि:-

अधिशाली अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, घनसाली, मुख्यालय-घुमेंटीधार, टिहरी गढ़वाल को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी को उपरोक्तानुसार वृक्षों के छपान में आवश्यक सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें। साथ ही यह भी अवगत कराया जाता है कि शासनादेशों के अनुपालन में कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने पर ही कार्यानुमति प्रदान की जायेगी।


प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी

01C

प्रमाण पत्र

कार्य का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-402/2013 के अन्तर्गत कर्णगौव से राजराजेश्वरी मन्दिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 3.2375 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (ऑनलाईन पत्रावली संख्या-FP/UK/ROAD/4272/2015)

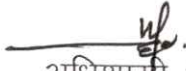
प्रमाणित किया जाता है, कि उक्त सड़क निर्माण के पश्चात जहां-जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारे तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation की जायेगी।


अधिशारी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
घनसाली (मुख्यालय-घुमेटीधार)

प्रमाण पत्र

कार्य का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-402/2013 के अन्तर्गत कर्णगौव से राजराजेश्वरी मन्दिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 3.2375 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (ऑनलाईन पत्रावली संख्या- FP/UK/ROAD/4272/2015)

प्रमाणित किया जाता है, कि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान वनभूमि में कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किये जायेंगे।


अधिशारी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
घनसाली (मुख्यालय-घुमेटीधार)

प्रारूप-2.35

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अर्थागत जनपद टिहरी गढ़वाल के
भिलंगना में कर्णगांव से राजराजेश्वरी मन्दिर तक मोटर मार्ग का नव
निर्माण कार्य। (लम्बाई-5.00 कि०मी०)

परियोजनामें कार्यरत श्रमिकों को मिटटी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य के दौरान निर्माण कार्य में
कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों को प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा मिटटी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध करायी जायेगी।

छाया प्रति प्रमाणित

सांख्यिक अभियन्ता
प्र००० १०११०६०
तनसुआ टिहरी गढ़वाल

ह०/१
प्रयोक्ता एजेंसी

प्रमाण पत्र

कार्य का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-402/2013 के अन्तर्गत कर्णगौव से राजराजेश्वरी मन्दिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 3.2375 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (ऑनलाईन पत्रावली संख्या-FP/UK/ROAD/4272/2015)

प्रमाणित किया जाता है, कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी। इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है।


अधिशारी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
घनसाली (मुख्यालय-घुमेटीधार)

प्रारूप-2.23

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में कर्णगांव से राजराजेश्वरी मन्दिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (लम्बाई-5.00 कि०मी०)

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि प्रशंगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

हो/
 प्रयोक्ता एजेन्सी

वन क्षेत्राधिकारी
 कलगाँवा राजि
 चमियाला

प्रमाणित
 हो/
 प्रमाणित वनाधिकारी

छाया प्रति प्रमाणित

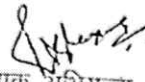
सहायक अभियन्ता
 प्रमाणित
 वनसाजी टिहरी गढ़वाल

Name Of work:-Proposal Of Muck Disposal in Construction of Karna
Gawn To Rajajeswari Motor Road

मक डम्पिंग प्लान / प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल में कर्णगांव से राजराजेश्वरी मन्दिर तक मोटर मार्ग (5.00 किमी०) के नये निर्माण से उत्पन्न मलवे को उचित प्रक्रियानुसार सुरक्षित स्थान पर डम्पिंग किया जायेगा। मलवा कहीं भी वृक्ष आच्छादित क्षेत्र एवं जल स्रोतों में नहीं डाला जायेगा।


सहायक अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि०,
घनसाली


सहायक अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि०,
घनसाली


अधिसारक अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि०,
घनसाली

छाया प्रति प्रमाणित


सहायक अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि०,
घनसाली टिहरी गढ़वाल

प्रमाण पत्र

कार्य का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-402/2013 के अन्तर्गत कर्णगौव से राजराजेश्वरी मन्दिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 3.2375 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (ऑनलाईन पत्रावली संख्या-FP/UK/ROAD/4272/2015)

प्रमाणित किया जाता है, कि यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश/आदि इस प्रकार प्रस्ताव लागू होते हैं, तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेनी सुनिश्चित की जायेगा।


अधिशाली अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
घनसाली (मुख्यालय-घुमेटीधार)

आदेश:-

भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र सं० ०८वीं/यू०सी०पी०/०५/१४४/२०१६/१६९४ दिनांक २१.१०.२०२० के द्वारा जगदल टिहरी गढ़वाल में कर्णगाव से राजराजेश्वरी मन्दिर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ३२३७५ हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसकी शर्त सं० ३(क) में उल्लेख किया गया है कि वन विभाग प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर ६४७५६० सिविल सोयम भूमि ग्राम केपार्स के खसरा सं० ५,७,१८,५६,३४०,३४१,३४२,३४३,३४४,३५०,३५२,३५५,३५६,३२६०,३२६१,३२६६,३२७१,३२७२,३३१८,३३१९,३३२०, ३३७१,३३२४,३३२६,३३३०,३३८१,३३८२,३८०३,३८०४,३८०८,३८३३ में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा।

उक्त के कम उपजिलाधिकारी कातेनगर के द्वारा अपने कार्यालय पत्र सं० २४२/आ०ए/भूमि हस्ता० दिनांक ०३.०३.२०२२ में उल्लेख किया है के द्वारा संयुक्त निरीक्षण आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई है जिसमें उल्लेख किया गया है कि प्रस्तावित भूमि शब्द कोष के अनुसार वन नहीं है, सरकार अभिलेख में वन के रूप में दर्ज नहीं है। उक्त भूमि तहसील बालगंगा के ग्राम केपार्स के नॉन जेड ए की खाता खतीनी सं० ३७ में दर्ज खसरा सं० ५,७,१८,०६,३४०,३४१,३४२,३४३,३४४,३५०,३५२,३५५,३५६,३२६०,३२६१,३२६६,३२७१,३२७२,३३१८,३३१९,३३२०, ३३७१,३३२४,३३२६,३३३०,३३८१,३३८२,३८०३,३८०४,३८०८,३८३३ कुल रकबा ६४७५० में श्रेणी ९-(३)ड वंजर दर्ज है। प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:-

ग्राम	पट्टी	खाता संख्या	खसरा सं०	अर्जित रकबा (हे०)	भूमि की किस्म
१	२	३	४	५	६
केपार्स	बासर	३७	०५	०.१०९२	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग ९(३)ड
			०७	०.२०९	
			१८	०.२०४	
			०६	०.९१२	
			३४०	०.१२६	
			३४१	०.३७६	
			३४२	०.१२८	
			३४३	०.१२४	
			३४४	०.१९१	
			३५०	०.०६३	
			३५२	०.१३९	
			३५५	०.२११	
			३५६	०.३१४	
			३२६०	०.०११	
			३२६१	०.२५७	
			३२६६	०.०२३	
			३२७१	०.१८६	
			३२७२	०.०५६	
			३३१८	०.३१३	
			३३१९	०.०१	
			३३२०	०.०७६	
			३३२१	०.१०३	
			३३२४	०.२१५	
			३३२६	०.०६३	
			३३३०	०.१२४	
			३३८१	०.२५७	
			३३८२	०.१२५	
			३८०३	०.४६०	
			३८०४	०.२९६	
			३८०८	०.७७५	
			३८३३	०.०१८८	
			योग-	६.४७५०६०	

कमश-२

छाया प्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
ग्र० ए० य० नि० वि०,
नगरपाली टिहरी गढ़वाल

प्रस्तावित जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत कर्णगांव से राजराजेश्वरी मन्दिर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु क्षतिपूर्क वृक्षारोपण के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-2882/XVIII(II)/11-18(120)/2010 राजस्व अनुभाग-2 दिनांक 11 नवम्बर 2011 एवं शासनादेश संख्या-2365/XVIII(II)/13-18 (120)/2010 टी0सी0 दिनांक 14 अक्टूबर 2013 के द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देशानुसार प्रस्तावित वन भूमि के सापेक्ष दुगुनी सिविल भूमि वन विभाग के नाम प्रत्यावर्तित किया जाना है। यह आदेश मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अधीन होगा, तथा याचक विभाग को निर्गत आदेश का अनुपालन करना होगा।

अतएव शासनादेश संख्या:-2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010 राजस्व अनुभाग-2 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के क्रम में उप जिलाधिकारी घनसाली के द्वारा प्रस्तावित किये गये उपरोक्त खसरा नम्बरान मध्ये कुल रक्बा 6.4750 है0 सिविल भूमि उल्लिखित शासनादेशों के आलोक में व्यापक जनहित के दृष्टिगत वन विभाग उत्तराखण्ड के पक्ष में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित की जाती है। तहसीलदार घनसाली/बालगंगा तत्काल उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में नामान्तरित/इन्द्राजी करना सुनिश्चित करे।

(इवा आशीष श्रीवास्तव)
जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल।

संख्या- 292 /XI-28(2020-21)दिनांक नई टिहरी, अप्रैल 30 2022

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 4- नोडल अधिकारी, वन भूमि हस्तान्तरण, वन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 5- प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।
- 6- अधिशासी अभियन्ता, अस्थायी खण्ड, लो0नि0वि0 घनसाली।
- 7- उप जिलाधिकारी घनसाली।
- 8- तहसीलदार घनसाली/बालगंगा को अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

छाया प्रति प्रमाणित

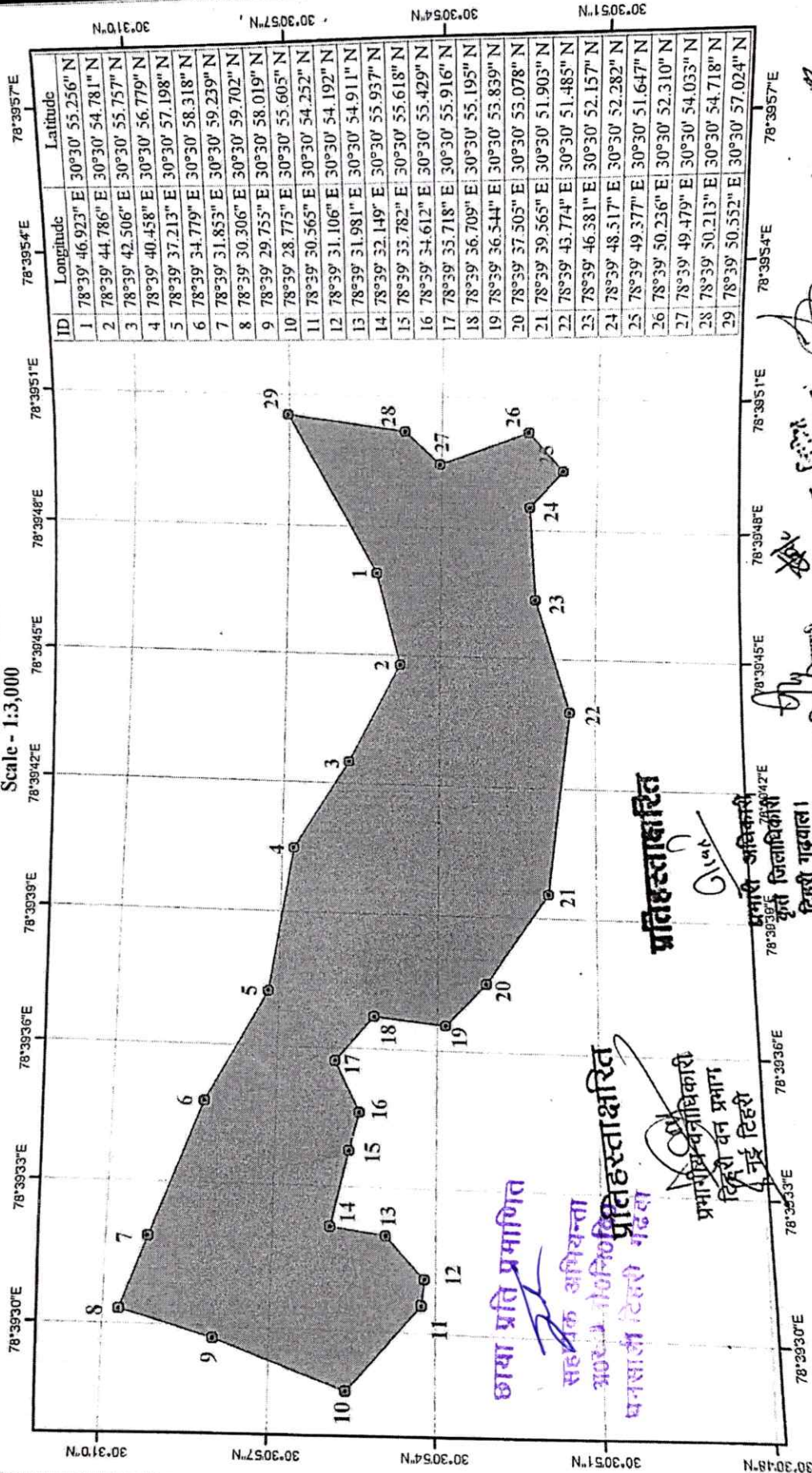
सहसर्गक अभियन्ता
अ0202 लो0नि0वि0,
घनसाली टिहरी गढ़वाल

जीयोरफरेन्स मैप - जनपद टिहरी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कर्णगांव से राजराजेश्वरी मंदिर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूर्क वृक्षारोपण स्थल



0 0.025 0.05 1.00 Km

Scale - 1:3,000



छाया प्रति प्रमाणित

सहस्रक अभियन्ता

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रमाणित वन प्रभाग

टिहरी नई टिहरी

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रमाणित वन प्रभाग

टिहरी नई टिहरी

प्रमाणित वन प्रभाग

टिहरी नई टिहरी

प्रमाणित वन प्रभाग

टिहरी नई टिहरी

प्रमाणित वन प्रभाग

टिहरी नई टिहरी

Legend

Ca Point

CA Land

सहायक अभियन्ता

प्रमाणित वन प्रभाग

टिहरी नई टिहरी

प्रमाणित वन प्रभाग

टिहरी नई टिहरी

प्रमाणित वन प्रभाग

प्रमाणित वन प्रभाग

टिहरी नई टिहरी

प्रमाणित वन प्रभाग

प्रमाणित वन प्रभाग

टिहरी नई टिहरी

प्रमाणित वन प्रभाग

प्रमाणित वन प्रभाग

टिहरी नई टिहरी

प्रमाणित वन प्रभाग

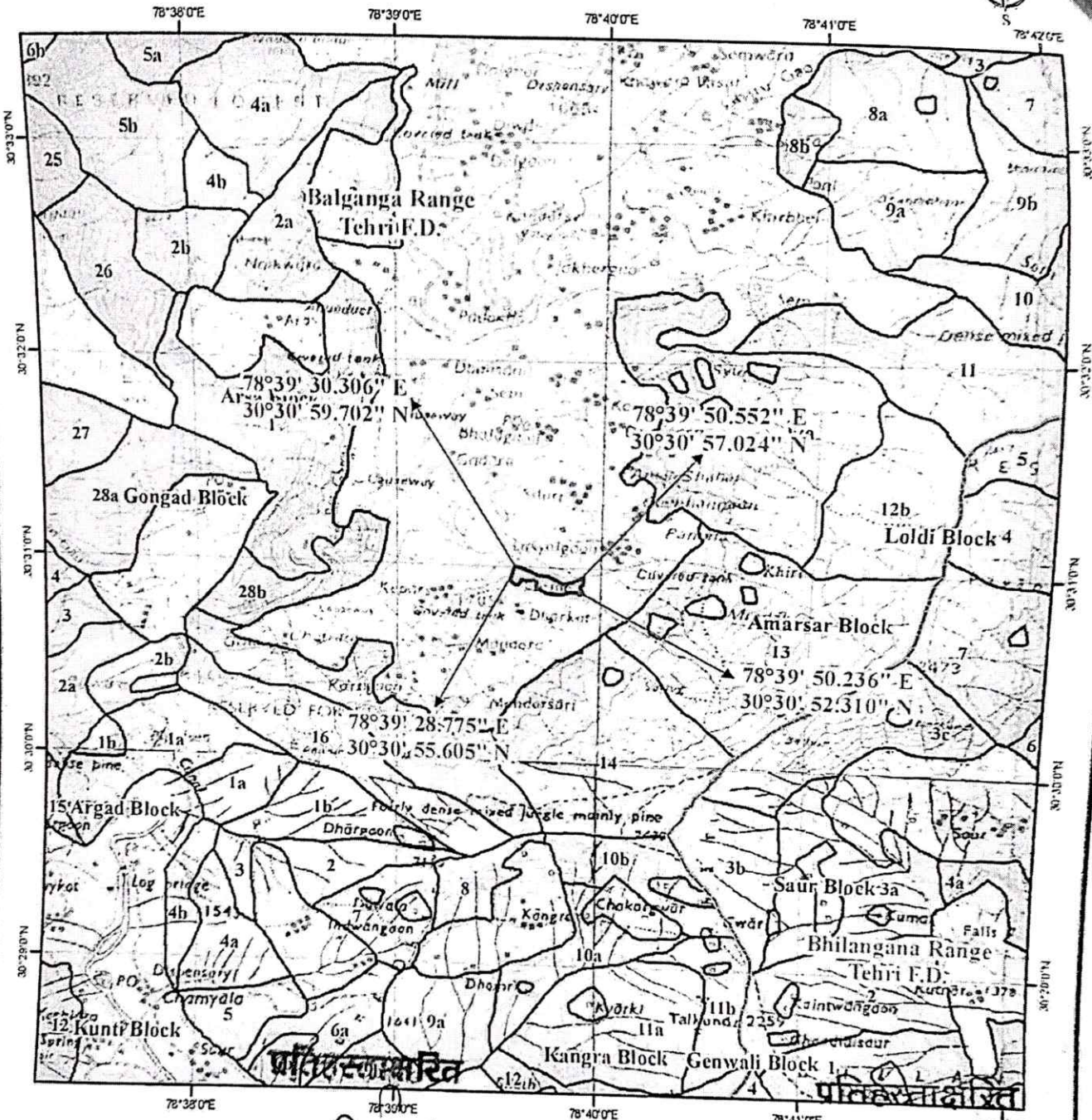
प्रमाणित वन प्रभाग

टिहरी नई टिहरी

प्रमाणित वन प्रभाग

डिजिटल मैप - जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्धवृत्त से राजराजेश्वरी मंदिर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण

0 0.5 1 1.5 Km



Legend

- Proposed Plantation
- Forest Reserve Boundary
- Forest Reserve Boundary
- Forest Range Boundary

प्रभारी अधिकारी

कृते जिलाधिकारी

टिहरी गढ़वाल

वन विभाग

अस्थाई खण्ड, 100 वि०

धनराशि (रि० ५०)

प्रभारी वनाधिकारी

टिहरी वन प्रभाग

4 नई टिहरी

वन क्षेत्राधिकारी

वाल गंगा अखि

परिचाल

राज्य वन निरीक्षक

देव-नमाला

नमाला

टिहरी गढ़वाल

छाया प्रति प्रमाणित

सहस्रक अभियन्ता

अस्थाई खण्ड, 100 वि०

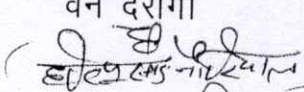
धनराशि (रि० ५०)

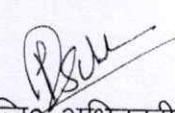
अमल दरामद भूमि कब्जे मे लेने सम्बन्धी प्रमाण पत्र

जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-402/2013 के अन्तर्गत कर्णगाँव से राजराजेश्वरी मन्दिर तक नव निर्माण कार्य हेतु 3.2375 है0 वनभूमि के गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल के आदेश सं0-292/XI-28/2020-21 दिनांक, नई टिहरी अप्रैल 30.2022 से जारी निर्देश के क्रम मे अमल दरामद 6.4750 है0 चिन्हित सिविल भूमि ग्राम-केपार्स तहसील-बालगंगा, पट्टी-बासर, जो खाता संख्या-37 खसरा -05, 07, 18, 06, 340, 341, 342, 343, 344, 350, 352, 355, 356, 3260, 3261, 3266, 3271, 3272, 3318, 3319, 3320, 3321, 3324, 3326, 3330, 3381, 3382, 3803, 3804, 3808, 3833 कुल रकवा 6.475 है0 में है। राजि0 अधिकारी बालगंगा द्वारा अपने कब्जे में ले ली गई है। जिसके फलस्वरूप उक्त प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है।


राजस्व उपनिरीक्षक
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र-अमरसर
तहसील बालगंगा (टि0 ग0)


वन बीट अधिकारी
(बामशरणा अधिकारी)
व. 5

वन दरोगा

उपराजि


राजि0 अधिकारी
बालगंगा

जिला स्तरीय समिति को सिविल भूमि हस्तान्तरण हेतु तहसील स्तरीय समिति की संयुक्त जॉच रिपोर्ट तहसील-बालगंगा, जिला-टिहरी गढ़वाल।

जिलास्तरीय समिति को सिविल भूमि हस्तान्तरण हेतु तहसील स्तरीय समिति की संयुक्त जॉच रिपोर्ट तहसील-बालगंगा विकास खण्ड भिलंगना में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-402/2013 के अन्तर्गत कर्णगौव से राजराजेश्वरी मन्दिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण के स्थापना हेतु तहसील-बालगंगा, पट्टी-बासर, ग्राम-केपार्स के ज0वि0र0 खाता खतौनी सं0- 37 में दर्ज खसरा नं0- 05, 07,18, 06, 340, 341, 342,343,344,350,352,355,356,3260,3261,3266,3271,3272,3318,3319,3320,3321,3324,3326,3330,3381,3382,380 3,3804,3808,3833 कुल रकवा 6.5908 में से कुल क्षेत्रफल 6.4750 हे0 भूमि जो उत्तराखण्ड सरकार की सिविल सोयम भूमि (श्रेणी 9(3) क एवं ख को छोड़कर) श्रेणी 9-(3)ड, में दर्ज अभिलेख है, को क्षतिपूर्ति वृक्षा रोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरित किये जाने की याचना की गई है।

प्रस्तावित सिविल सोयम भूमि को अधिसूचना सं0-866/X-3-2011/8(21)/2010,दिनांक- 28.09.2011 एवं शासनादेश संख्या-883/X-3-2011/8(21)/2010, दिनांक 04.10.2011 तथा राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या-2882/xviii(11)ii-18(120)/3-2010 दिनांक 11 नवम्बर 2011 के आलोक में क्षतिपूरक वृक्षा रोपण हेतु वन विभाग जिला-टिहरी गढ़वाल को आवंटित किये जाने हेतु तहसील स्तरीय समिति द्वारा आज दिनांक 22-02-2022 को संयुक्त निरीक्षण किया गया।

संयुक्त निरीक्षण के दौरान समिति द्वारा पाया गया कि प्रस्तावित भूमि शब्दकोष के अनुसार वन नहीं है, सरकारी अभिलेख में वन के रूप में दर्ज नहीं एवं मौके पर वन स्वरूप नहीं है। यह भूमि उत्तराखण्ड के जिला-टिहरी गढ़वाल की तहसील-बालगंगा, पट्टी-बासर, ग्राम-केपार्स के नॉन जेड ए की खाता खतौनी सं0- 37 दर्ज खसरा नं0- 05,07,18, 06, 340,341, 342, 343, 344, 350, 352, 355, 356, 3260,3261, 3266,3271, 3272, 3318, 3319, 3320, 3321,3324, 3326, 3330, 3381, 3382, 3803, 3804, 3808, 3833 कुल रकवा 6.5908 में श्रेणी 9-(3)ड बंजर दर्ज है। शासनादेश संख्या-2882/xviii(11)ii-18(120)/3-2010 दिनांक 11 नवम्बर 2011 के अनुसार इस भूमि पर वन अधिनियम लागू नहीं है। प्रस्तावित परियोजना/भवन का निर्माण जनहित में कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः तहसील बालगंगा की तहसील स्तरीय संयुक्त निरीक्षण समिति ग्राम-केपार्स की खाता खतौनी सं0- 37 में ज0वि0र0 के रेणी 9-(3)ड में दर्ज खसरा नं0 05,07,18, 06, 340,341, 342, 343, 344, 350, 352, 355, 356, 3260,3261, 3266,3271, 3272, 3318, 3319, 3320, 3321,3324, 3326, 3330, 3381, 3382, 3803, 3804, 3808, 3833 कुल रकवा 6.4750 हे0, भूमि को वन विभाग, जिला-टिहरी गढ़वाल को क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरण किये जाने हेतु जिला स्तरीय संयुक्त जॉच समिति को संस्तुति सहित प्रस्तावित करती है।

प्रस्तावित विभाग
सदस्य

तहसीलदार
तहसीलदार
बालगंगा
टिहरी गढ़वाल

वन विभाग
सदस्य

उपजिलाधिकारी
अध्यक्ष

श्रीका- केपारें पट्टी बास् लसील बाकागि टिडी अकास
८७० फीट ३० इंचलीनी फसली वर्ष - १५२०-१५२६

1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
३७	उत्तराखण्ड सरकार की १८८		२	०.०१३६							९५	०.१९५			
	(३०) बंकर		३	०.०१२०							९७	०.०१११			
			४	०.०१२३							९९	०.०१३६			
			५	०.०२२५							१०१	०.०२५१			
			६	०.०११२							१०३	०.०२२६			५
			७	०.०२०९							१०५	०.०२२०			
			१५	०.००३१							११७	०.०२३०			
			१६	०.०१५८							१२०	०.०२२१			
			१७	०.०१००							१२५	०.०१३१			
			१८	०.०२०५							१३०	०.०२०५			१०
			१९	०.०११५							१६७	०.०२०९			
			२०	०.०१८५							२०२	०.०२०९			
			३२	०.०२०८							२०२	०.०११५			
			५८	०.०११०							२०५	०.०१६९			
			६०	०.०००६							२१६	०.०२५५			१५
			६६	०.०११५							२३८	०.०२०६			
			६७	०.०१०८							२५०	०.०११३			
			६८	०.०००५							२५३	०.०२०८			
			७५	०.०००९							२६१	०.०२०९			
			९८	०.०१०३९							२६७	०.०२०८			२०
			९२	०.०११३							२९०	०.०२०५			
			९३	०.००९८							३१२	०.०११०			

श्रीका- केपारें पट्टी बास् लसील बाकागि टिडी अकास
८७० फीट ३० इंचलीनी फसली वर्ष - १५२०-१५२६

श्रीका- केपारें पट्टी बास् लसील बाकागि टिडी अकास

०५/११/१९

			317	0.015						400	0.010			
			319	0.006						401	0.695			
			335	0.064						402	0.016			25
			336	0.051						403	0.104			
			338	0.036						418	0.006			
			340	0.026						419	0.008			
			341	0.376						420	0.010			
			342	0.128						421	0.005			30
			343	0.124						422	0.003			
			344	0.191						423	0.010			
			345	0.048						424	0.009			
			346	0.540						454	0.009			
			350	0.063						474	0.041			35
			352	0.139						475	0.015			
			353	0.091						476	0.126			
			354	0.549						480	0.044			
			355	0.1211						481	0.015			
			356	0.314						483	0.033			40
			358	0.050						485	0.003			
			365	0.079						486	0.014			
			391	0.005						488	0.011			
			395	0.005						492	0.008			
			399	0.036						494	0.026			45

		501	0.011						553	0.0081			
		502	0.015						564	0.0096			
		503	0.013						571	0.015			25
		504	0.018						572	0.016			
		505	0.031						573	0.008			
		506	0.377						577	0.005			
		507	0.040						637	0.011			
		508	1.114						677	0.016			30
		509	1.234						658	0.009			
		510	1.174						686	0.013			
		511	1.185						694	0.013			
		512	0.176						697	0.013			
		514	0.504						698	1.136			35
		515	1.007						705	0.033			
		516	0.499						711	0.004			
		517	0.191						730	0.040			
		518	0.312						735	0.021			
		519	0.064						753	0.021			40
		520	0.189						756	0.009			
		521	0.046						779	0.055			
		522	0.137						889	0.005			
		523	0.252						817	0.018			
		546	0.013						824	0.024			45

संक्षेप मयन (आवेदन) 03 सं० ५/१०/२०/२०-३०-०५-२०१४-५०,००० फार्म (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।

संक्षेप मयन (आवेदन) 03 सं० ५/१०/२०/२०-३०-०५-२०१४-५०,००० फार्म (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।

20/12/17

1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
			826	01003							1066	01006			
			843	01003							1069	01020			
			844	01021							1070	01011			
			854	01018							1088	01010			
			869	01040							1096	01037			5
			874	01006							1153	01035			
			880	01011							1154	01018			
			884	01006							1155	01020			
			887	01029							1156	01016			
			950	01019							1154	01017			10
			966	01030							1160	010257			
			968	01066							1165	010257			
			972	01030							1166	01044			
			975	01145							1167	01071			
			979	00003							1168	01098			15
			984	01021							1169	01055			
			1003	01170							1171	010232			
			1019	01008							1172	01023			
			1022	01011							1173	01034			
			1029	01009							1174	01089			20
			1045	01013							1175	01016			
			1053	01004							1176	01095			

20/11/11

1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
			1178	01015							1288	01004			
			1179	01005							1319	01043			
			1187	01391							1323	01040			
			1188	01050							1326	01098			
			1197	01003							1327	01187			
			1220	01312							1330	01008			5
			1221	01224							1332	01023			
			1222	01252							1361	01078			
			1229	01003							1364	01043			
			1239	01004							1400	01003			10
			1248	01014							1413	01043			
			1250	01003							1419	01016			
			1252	01037							1429	01063			
			1258	01094							1456	01038			
			1262	01058							1436	01010			15
			1266	01024							1443	01011			
			1287	01010							1444	01014			
			1269	01005							1445	01033			
			1271	00044							1450	01011			
			1273	01011							1451	01244			20
			1277	01004							1459	01021			
			1284	0068							1461	01076			

at a c.	1061				
1789-90	1061	1061	1061	1061	1061

मूल्य प्रपत्र सं० प-11

		1464	0.008						1602	0.153			
		1465	0.036						1603	0.043			
		1475	0.011						1604	0.038			25
		1487	0.014						1603	0.028			
		1488	0.074						1606	0.005			
		1489	0.176						1673	0.048			
		1490	0.141						1679	0.028			
		1507	0.008						1691	0.046			30
		1509	0.015						1699	0.008			
		1510	0.023						1733	0.031			
		1541	0.018						1737	0.013			
		1542	0.058						1740	0.009			
		1544	0.048						1743	0.016			35
		1545	0.005						1755	0.057			
		1546	0.038						1756	0.060			
		1547	0.005						1757	0.030			
		1566	0.090						1758	0.024			
		1570	0.110						1772	0.004			40
		1573	0.038						1778	0.004			
		1575	0.124						1786	0.034			
		1579	0.024						1792	0.006			
		1584	0.028						1812	0.003			
		1588	0.005						1821	0.009			45

पीएसटीओ (आरईओ) 03 राष्‍ट्रपति/ 28-30-05-2014-50.000 फार्म (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।

2024/1

1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
			1822	61009							2071	01035			
			1863	01004							2072	01036			
			1882	01029							2073	01035			
			1885	01003							2075	010310			
			1951	01005							2076	01050			5
			1964	01013							2077	01046			
			2018	01005							2078	01086			
			2022	01011							2079	01009			
			2025	01018							2080	01120			
			2026	01078							2081	01130			10
			2027	01083							2082	01096			
			2028	01045							2176	01033			
			2029	01055							2209	01026			
			2030	01078							2277	01013			
			2032	01048							2283	01041			15
			2046	01030							2288	01008			
			2047	01031							2294	01008			
			2048	01026							2299	01110			
			2051	01048							2320	01068			
			2052	01116							2323	01034			20
			2053	01009							2328	01009			
			2070	01033							2330	01028			

सूचक

मयन

री० प-११

		2836	01003							3195	01004			
		2853	01006							3237	01058			
		2858	01006							3240	01015		25	
		2862	01006							3247	01025			
		2873	01011							3248	01013			
		2896	01024							3260	01011			
		2452	01003							3261	01025			
		2539	01070							3263	01024		30	
		2605	01004							3265	01038			
		2611	01004							3266	01023			
		2697	01009							3268	01098			
		2738	01003							3270	01012			
		2761	01001							3271	01086		35	
		2791	01008							3272	01056			
		2810	01008							3296	01021			
		2835	01004							3297	01045			
		2896	01023							3298	01016			
		2900	01001							3301	01058		40	
		3091	01010							3310	01013			
		3134	01010							3311	01053			
		3158	01015							3312	01004			
		3165	01008							3313	01004			
		3188	01009							3314	01048		45	

गुणोत्तर प्रश्न सं० प-११

1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
			3315	0.110							3386	0.040			
			3316	0.091							3387	0.081			
			3317	0.023							3388	0.090			
			3318	0.313							3390	0.011			
			3319	0.090							3391	0.035			5
			3320	0.076							3392	0.246			
			3321	0.103							3393	0.045			
			3324	0.215							3394	0.043			
			3326	0.063							3395	0.070			
			3327	0.038							3396	0.004			10
			3330	0.124							3397	0.020			
			3331	0.421							3398	0.011			
			3332	0.115							3407	0.009			
			3333	0.035							3408	0.004			15
			3324	0.028							3409	0.013			
			3326	0.024							3410	0.004			
			3361	0.138							3411	0.008			
			3362	0.045							3417	0.008			
			3379	0.035							3421	0.033			
			3380	0.093							3422	0.024			20
			3381	0.257							3433	0.081			
			3382	0.125							3442	0.033			

प्रश्न सं० प-११
गुणोत्तर प्रश्न सं० प-११

अज्ञेय

[illegible]

पी०एस०यू० (आर०ई०) ०३ रा०परि० / २८-३०-०५-२०१४-५०.००० फार्म (कम्प्यूटर / ऑफसेट)।

1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
			3805	01070							3995	01218			
			3806	01049							4013	01219			
			3808	01773							4014	01041			
			3810	01760							4024	01058			
			3811	01043							4025	01048			5
			3813	01046							4026	01041			
			3815	01074							4027	01073			
			3817	01024							4028	01046			
			3819	01006							4029	01052			
			3820	01008							4030	01058			10
			3823	01108							4031	01053			
			3824	01088							4032	01123			
			3825	01053							4034	01050			
			3826	01089							4035	01119			
			3827	01044							4038	01119			15
			3830	01204							4039	01155			
			3831	01045							4040	01240			
			3833	01344							4041	01413			
			3834	01191							4042	01070			
			3836	01273							4043	01058			20
			3837	01008							4044	01060			
			3982	01018							4056	01090			


 21/04/2020
 17-04-2020
 04-04-2020

	4060	01013							4153	01020			
	4061	01038							4173	01033			
	4070	01015							4202	01086			25
	4075	01013							4203	01044			
	4076	01013							4204	01013			
	4078	01034							4207	01370			
	4081	01450							4232	01045			
	4082	01373							4234	01038			30
	4091	01110							4248	01014			
	4104	01063							4274	01035			
	4106	01024							4285	01006			
	4110	01018							4313	01043			
	4111	01038							4316	01015			35
	4112	01090							4338	01013			
	4138	01118							4302	01010			
	4145	01023							4304	01013			
	4146	01045							4306	01013			
	4147	01091							4312	01013			40
	4148	01043							4323	01056			
	4149	01091							4340	01009			
	4150	01038							4324	01013			
	4151	01063							4327	01148			
	4152	01048							4328	01053			45

प्रीतुपनोद (आरोहो) 03 तपचरि / 28-30-05-2014-50.000 फार्म (कम्प्लेक्स/ऑफसेट)।

20/2/17

1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
			4838	01098							4600	01018			
			4860	01044							4616	01023			
			4862	01135							4632	01011			
			4865	01086							4668	01025			
			4864	01025							4671	01006			5
			4866	01375							4683	01006			
			4872	01119							4716	01009			
			4873	01273							4741	01005			
			4887	01011							4758	01005			
			4887	01011							4781	01053			10
			4893	01008							4783	01026			
			4895	01035							4795	01035			
			4535	01010							4897	01030			
			4538	01010							4896	01015			
			4546	01050							4907	01065			15
			4547	01931							4917	01045			
			4561	01075							4931	01084			
			4563	01058							4933	01046			
			4568	01008							4948	01023			
			4577	01010							4956	01015			20
			4588	01023							4964	01030			
			4590	01008							5080	01083			

राज्य रक्षक
पत्र-कमिशनर (पि० सं०)
महाराष्ट्र सरकार (पि० सं०)

२३/११

		5083	01086						5188	01018				
		5086	01031						5196	01131				
		5087	01086						5207	01044				25
		5088	01257						5208	01093				
		5101	01149						5209	01105				
		5102	01301						5210	01058				
		5103	01391						5215	01013				
		5104	01191						5217	01010				30
		5105	01320						5218	01003				
		5106	01374						5220	01028				
		5107	01023						5222	01011				
		5109	01038						5223	01010				
		5108	01204						5226	01063				35
		5110	01303						5228	01028				
		5111	01375						5239	01023				
		5113	01068						5240	01023				
		5123	01011						5241	01025				
		5128	01110						5272	11426				40
		5130	01059						5244	01088				
		5163	01086						5268	01003				
		5165	11058						5280	01024				
		5167	01313						5294	01011				
		5187	01048						5295	01028				45

1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
			5296	01046											
			5297	01050											
			5298	01058											
			5299	01051											
			5300	01010											
			5301	0010											
			5302	01011											
			5303	01008											
			5304	01013											
			5305	01331											
			5306	01363											
			5307	01073											
			5308	01123											
			5311	01203											
			5313	01248											
			5315	01070											
			5319	01030											
			5320	01003											
		207-	697	66106											

आवक है
श्रीमती श्रीमती श्रीमती

श्रीमती श्रीमती श्रीमती
श्रीमती श्रीमती श्रीमती
श्रीमती श्रीमती श्रीमती